वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)
802301

कुलसचिव

Email :- registrarvksuarabihar@gmail.com

पत्रांक :- 475/Estab/23 दिनांक - 09.1/2023

सेवा में,

प्रबंधक

प्रभात खबर, पटना।

विषय :- विज्ञापन प्रकाशन के संदर्भ में।

महाशय,

कृपया अपने दैनिक समाचार पत्र के बिहार संस्करण में दिनांक 10.01.2023 को निम्नलिखित विज्ञापन 8 X 5 से०मी० आकार में Black & White, Card Rate में GST extra के साथ प्रकाशित करने की कृपा करें।

ह०/-

कुलसचिव

V.K.S. University, Ara

Advertisement No.- 01/2023

विश्वविद्यालय के अभिषद् एवं अधिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के उपरान्त वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा में सामान्य प्रशासन, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000 ए दिनांक - 10.07.2015 में निहित प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय सेवा, सरकारी या लोक उपक्रमों के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवा सहायक अभियंता के पद पर संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 16.01.2023 को अपराह्न 5:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। नियुक्त से संबंधित पात्रता, सामान्य निर्देश एवं पदों की स्थिति विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.vksu.ac.in पर देखा जा सकता है।

नोट:- पूर्व में जो लोग आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय कुलपति के आदेशानुसार
ह०:-
कुलसचिव

ज्ञापांक :- 475/Estab/23 दिनांक - 09.01.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव का कार्यालय, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
2. प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा शाखा, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
3. विश्वविद्यालय वेबसाईट - www.vksu.ac.in

9.01.23

कुलसचिव

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)
802301

सूचना

विश्वविद्यालय के अभिषद् एवं अधिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के उपरान्त वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा में सामान्य प्रशासन, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-10000 ए दिनांक - 10.07.2015 में निहित प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय सेवा, सरकारी या लोक उपक्रमों के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवा सहायक अभियंता के पद पर संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र० सं०	रिक्त पदनाम	पद समूह	पदों की संख्या	आरक्षण कोटि	अनुभव/सेवा अवधि
1.	सहायक अभियंता	ख	02	अनारक्षित - 01 अ०पि०वर्ग - 01	सम्बंधित समकक्ष पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य

संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता एवं सामान्य निर्देश:-

(i) आवेदक भारत का नागरिक हों।

(ii) आवेदक किसी विश्वविद्यालय, किसी सरकारी विभाग अथवा लोक उपक्रम विभाग की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो।

(iii) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवा का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरूद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(iv) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा दिनांक -31.01.2023 को 64 वर्ष होगी। चयन प्रथमत: 11 माह अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा। सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा विस्तार विश्वविद्यालय की सहमति से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

(v) संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं होंगे तो उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(vi) संविदा पर नियोजित सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिृत्त के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही भुगतेय होगा, परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के

[P.T.O.]

संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगा। उक्त मासिक मानदेय के अतिरिक्त कोई भत्ता देय नहीं होगा। यह राशि राज्य सरकार से प्राप्त होने के बाद भुगतेय होगा, जब तक राशि नहीं प्राप्त होती है तब तक 35000 रू० प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(vii) चयनित कर्मचारी को आवश्यक रूप से मुख्यालय में निवास करना होगा।

(viii) किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, आरा होगा।

(ix) वैसे सरकारी सेवकों की सेवायें नहीं ली जा सकेंगी अथवा आवेदन के पात्र नहीं होंगे:-

(क) जिन पर निगरानी का मामला चल रहा हो।

(ख) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।

(ग) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

(घ) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

(ड.) जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में सक्षम नहीं है।

(x) आवेदन निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या हाथो हाथ दिनांक 16.01.2023 तक कुलसचिव कार्यालय, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा में सायं 5 बजे तक जमा किया जा सकेगा।

(xi) नियुक्ति नियमानुसार साक्षात्कार साक्षात्कार के माध्यम से होगी।

माननीय कुलपति के आदेशानुसार

ह०/-

कुलसचिव

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

ज्ञापांक :- 476/Estab/2023 दिनांक :- 09.1.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) विश्वविद्यालय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(2) कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव का कार्यालय, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

09.01.2

कुलसचिव

A.Kumar